

ऑपरेशन मेघ चक्र

प्रलिस के लयः

मेघ चक्र, चाइलड पोर्नोग्राफी, प्रोटेक्शन ऑफ चल्ड्रन अर्गेसट सेकसुअल ऑफेंसेज़ एक्ट 2012 (पॉक्सो-अधनयः) ।

मेन्स के लयः

बाल यौन शोषण से संबधतः मुद्दे और नवऱरक उपाय / पहल ।

चर्चा में क्यों?

एक ऑपरेशन जसका कोड-नाम "मेघ चक्र" है, न्यूज़ीलैंड के अधकारयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सगऱपुर वशऱष इकाई से प्राप्त जानकारी के बाद चलाया जा रहा है ।

- यह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा करने के खलऱफ [केंद्रीय जांच ब्यूरो \(CBI\)](#) द्वारा संचालतः एक अखलऱ भारतीय अभयऱन है ।

ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रमुख बढऱः

- 20 राज्यों और एक केंदरशासतः प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली गई ।
- यह आरोप लगाया गया है कबऱडी संख्या में भारतीय नागरकः कलाउड-आधारतः भंडारण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडगऱ और प्रसारण में शामिल थे ।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में वभऱनऱन कानून प्रवर्तन एजेंसयों से जानकारी एकत्र करना, वैश्वकः स्तर पर संबधतः कानून प्रवर्तन एजेंसयों के साथ जुडना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्मय से नकऱटता से समन्वय करना है ।
- जांच में 500 से अधकः समूहों की पहचान की गई थी, जऱनमें 5000 से अधकः अपराधी और लगभग 100 देशों के नागरकः भी शामिल थे ।
- नवंबर 2021 में CBI द्वारा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक अभ्यास कोड का संचालन कयऱा गया था ।

बाल यौन शोषण से जुड़े मुद्दे:

- बहुसतरीय समस्या:** बाल यौन शोषण एक बहुसतरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरक सुरकषा, मानसकः स्वास्थय, कल्याण और वयवहार संबधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावतः करती है ।
- डजऱटऱल प्रौद्योगकऱयों के कारण प्रवर्धन: मोबाइल और डजऱटऱल प्रौद्योगकऱयों ने बाल शोषण एवं दुर्वयवहार को और बढऱ दयऱा है । ऑनलाइन शरारत, उत्पीडन तथा [चाइलड पोर्नोग्राफी](#) जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं ।
- अप्रभावी कानून:** हालाँकः भारत सरकार ने [यौन अपराधों के खलऱफ बच्चों का संरक्षण अधनयः 2012 \(POCSO अधनयः\)](#) बनाया है, लेकनऱ यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में वफऱल रही है । इसके नमऱनलखऱतः कारण हो सकते हैं:
 - कम सज़ा दर: वगऱत 5 वर्षों के औसत को देखें तो लंबतः मामलों की संख्या 90% है, इस प्रकार POCSO अधनयः के तहत दोषसदऱधः की दर केवल 32% है ।
 - न्यायकः वलऱंब: कटुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकः पॉक्सो अधनयः में स्पष्ट रूप से उल्लेख कयऱा गया है कःपूरी सुनवाई और दोषसदऱधः की प्रकऱयऱा एक साल में पूरी की जानी है ।
 - बच्चे के लयः प्रतःकऱल: बच्चे की आयु-नरऱधारण से संबधतः चुनौतयऱों । वशऱष रूप से ऐसे कानून जो जैवकः उमर पर ध्यान केंदरतः करते हैं, न कः मानसकः उमर पर ।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनयः, 2012:

- यह बच्चों के हतऱों की रकषा और भलाई के लयः बच्चों को यौन उत्पीडन, दुर्वयवहार एवं अश्लील साहतऱय के अपराधों से बचाने के लयः

अधिनियमिति कया गया था ।

- यह अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परभाषति करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है ।
- यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परभाषति करता है, जिसमें भेदक और गैर-मर्मज्ज हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं ।
- ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन आक्रमण बढ़ गए हैं, जैसे कि जब दुरव्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुरव्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है ।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है ।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये ।
- अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्यु दंड सहित कठोर सजा देने के लिये इसमें संशोधन किया गया था ।

संबंधति संवैधानिक प्रावधान:

- संवधान प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), नजिता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15) और शोषण के विरुद्ध (अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार की गारंटी प्रदान करता है ।
 - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A) ।
- राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (F) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व आरोपित करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरमापूरण स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परतियाग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए ।

संबंधति पहलें:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- कशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल विवाह प्रतिषिद्ध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम निषिद्ध एवं विनियमन अधिनियम, 2016

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

भारत के संवधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा नमिनलिखित में से कसिकी परकिलपना की गई है? (2017)

1. मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषिद्ध
2. असपृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नयोजन पर रोक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- संवधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित हैं ।
- अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी एवं बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं, इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा । अतः कथन 1 सही है ।
- अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नयोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है । इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा । अतः कथन 4 सही है ।

अतः विकल्प (c) सही है ।

[स्रोत: द ह्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/megh-chakra-operation>

